22.9.17

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 13.09.2017 को आयोजित राज्य योजना, नाली–गली पक्कीकरण निश्चय तथा हर घर नल जल निश्चय योजना के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– निम्नवत्

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना।
नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
श्री सुरेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियंता, बुडा।
श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बुडा।
बुडको के प्रतिनिधि।

बैठक में सर्वप्रथम राज्य योजनान्तर्गत बड़े Outfall Drains के संबंध में चर्चा की गई तथा अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई।

(i) AMRUT योजनान्तर्गत कार्यान्वित होने वाली बेऊर से मीठापुर एवं करबिगहिया से मीठापुर का संशोधित DPR दिनांक– 18.09.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

(ii) सैदपुर Drainage योजना की निविदा अक्टूबर माह में निकालने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

(iii) मुजफ्फरपुर Storm Water Drainage के DPR निर्माण हेतु अभी सर्वे किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजनान्तर्गत किया जाना है। निदेश दिया गया कि DPR को अंतिम रूप देकर नगर निगम से पारित कराकर अक्टूबर माह में विभाग को भेजा जाय।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

(iv) मधुबनी Storm Water Drainage योजना के लिए बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद से दो अलग–अलग DPR प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि दोनों योजना को एक साथ मिला दिया जाय तथा समेकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जायेगा।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद एवं प्रबंध निदेशक, बुडको)

(v) सीतामढ़ी शहर के Storm Water Drainage योजना का DPR तैयार कराने हेतु बुडको को पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– विभागीय प्रशाखा– 02)

(vi) सुपौल शहर की योजना का संशोधित DPR दिनांक– 18.09.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बुडको)

(vii) कटिहार शहर की योजना का DPR इस माह के अंत तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बुडको)

2. **<u>जलापूर्ति</u>** :–

(i) AMRUT योजनान्तर्गत 05 शहरों के योजना की निविदा का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से इसे शीघ्र निष्पादित करने हेतु विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन– श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बुडा)

(ii) पाँच शहरों की निविदा प्रकाशित हो चुकी है। निदेश दिया गया कि 02 दिनों के अन्दर या तो निविदा निष्पादित की जाय अथवा पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

(iii) AMRUT – SAAP III के अंतर्गत कुल 17 योजना ली गई है। इसमें 04 का DPR प्राप्त है, जिसे Appraisal के लिए बुडको को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक– 15.09.2017 तक बुडको उसपर कार्रवाई करके वापस लौटाए।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बुडको)

(iv) शेष योजनाओं में से 10 योजनाएँ बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा दिनांक– 18.09.2017 तक भेज देने का आश्वासन दिया गया।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद)

3. **<u>हर घर नल जल निश्चय</u>** :–

(i) प्रगति की समीक्षा के पश्चात् निदेश दिया गया कि इस कार्य की गति काफी धीमी है। इसमें सुधार लाया जाय तथा तीव्र गति से योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाय। अगले माह तक अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर होना चाहिए तथा चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जाय।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नल जल निश्चय)

(ii) जिन परिवारों द्वारा स्वयं के बोरिंग से नल का जल प्राप्त किया जा रहा है, उन्हें निश्चय योजना का लाभ नहीं दिया जाय, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री का निदेश है। तद्नुसार सभी नगर

निकायों को पत्र दिया जाय एवं उनसे ऐसे मामलों को चिह्नित कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जाय। प्राप्त आँकड़ों को निश्चय के लक्ष्य से घटा लिया जाय।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नल जल निश्चय)

(iii) नगर निकायों में पूर्व में PHED द्वारा निर्मित पानी टंकी की सफाई नहीं की जाती है। जिन नगर निकायों के द्वारा PHED से Take Over कर लिया गया है, वे नगर निकाय पानी टंकी की सफाई स्वयं कराएँ। जहाँ Take Over नहीं किया गया है, उनकी सफाई PHED द्वारा कराई जाय। इसके लिए माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को माननीय विभागीय मंत्री की ओर से पत्र दिया जाय।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नल जल निश्चय)

(iv) नगर निकायों में सार्वजनिक स्थलों पर नल के जल हेतु स्टैंड पोस्ट की स्थापना पर भी विचार कर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नल जल निश्चय)

4. **नाली गली पक्कीकरण निश्चय** :–

(i) पूर्व में नगर निकायों द्वारा कच्ची नाली गलियों के निर्माण हेतु दीर्घकालीन सूची बनाई गई है, जो वार्ड सभा से अनुमोदित है तथा प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है। ऐसी शिकायतें आ रही है कि दीर्घकालीन सूची में कच्ची के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त गली नालियों का भी उल्लेख हो गया है। इसकी जाँच कराकर दीर्घकालीन सूची में संशोधन कराने के संबंध में कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नाली गली निश्चय)

(ii) किसी वार्ड में जब सभी कच्ची नाली गलियों का निर्माण पूर्ण हो जाय तो नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र लेकर उस वार्ड में निश्चय मद की राशि से क्षतिग्रस्त गली नालियों के निर्माण की कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि ऐसे मामलों में पूर्व से क्षतिग्रस्त सड़क के ऊपर PCC नहीं किया जायेगा बल्कि पुराना PCC को Dismantle कर नये सिरे से निर्माण किया जायेगा। इसके प्राक्कलन में Dismantling का भी प्रावधान किया जायेगा।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नाली गली निश्चय)

(iii) नालियों के निर्माण के संबंध में यह निदेश दिया गया कि नालियों का निर्माण Outfall Point से आरम्भ होकर आगे तक जायेगा। गलियों की नालियों का Level मुख्य सड़क के नाले से ऊपर होगा तथा मुख्य सड़कों का Level बड़े Outfall Drain से ऊपर होगा। बड़े Outfall Drain का Level सबसे नीचे होगा ताकि कहीं भी जल जमाव नहीं हो पाये।

(अनुपालन– विभागीय नोडल पदाधिकारी–नाली गली निश्चय)

(iv) सामग्रियों के क्रय के संबंध में यह निदेश दिया गया कि DGS&D के निर्धारित दर से अधिक दर पर सामग्री का क्रय नहीं किया जाय। यदि किसी नगर निकाय के पदाधिकारी द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस प्रकार का पत्र जारी करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– विभागीय मुख्य अभियंता)

(v) LED / High Mast Light का क्रय नगर निकायों द्वारा अब नहीं किया जाना है। स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन EESL के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। निदेश दिया गया कि इस आशय का पत्र जारी किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(अनुपालन– विभागीय प्रशाखा– 02)

21/9/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / बैठक–04–01 / 2017 6387 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–22.9.17

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम / प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / श्री सुरेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियंता, बुडा / श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / बैठक–04–01 / 2017 6387 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–22.9.17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

आनन्द.